ज्ञापांक– 8375 /पी0–2

11–13–07–2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 17-7-17

सेवा में,

सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई /सैन्य पुलिस सहित), बिहार।
सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई /सैन्य पुलिस सहित), बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, (रेल/इकाई /सैन्य पुलिस सहित), बिहार।

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–5335/पी0–2 दिनांक–05.05.2017.

विषय :– बिहार के विभिन्न जिलों में अनुसंधान पदाधिकारियों, विधि–व्यवस्था पदाधिकारियों एवं निरीक्षकों के लिए कार्य निष्पादन संकेतकों का निर्धारण करने के संबंध में।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि :–

1. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–1803/पी0–2 दिनांक–10.06.2016 के द्वारा स0अ0नि0 /पु0अ0नि0/पुलिस निरीक्षकों एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर सभी स्तर पर मूल्यांकन करने एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का आलेखन संशोधित विहित प्रपत्र में करने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)।

2. प्रोन्नति/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ की स्वीकृति प्रदान करने एवं अनुशंसित करने हेतु नियमानुसार विहित प्रपत्र में नये सिरे से आलेखित (विगत पांच वर्षों यथा 2011–12 से 2015–16) एवं वर्ष 2016–17 का निर्धारित कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर नये प्रपत्र में श्रेणीकरण के तहत अंक प्रदान कर आलेखित वा0गो0च0अ0 के आधार पर विचार किया जाय। किसी भी परिस्थिति में विशेष वार्षिक गोपनीय चारित्रि के आधार पर उक्त कार्रवाई नहीं की जाय।

3. भविष्य में नियमानुसार प्रतिवेदक पदाधिकारी एवं स्वीकारक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में वा0गो0च0अ0 आलेखित किया जाय तथा नियमानुसार आलेखित वा0गो0च0अ0 को ही मान्यता दी जाय।

अतः अनुरोध है कि संलग्न कार्य निष्पादन संकेतकों के आलोक में कार्यों का मूल्यांकन सभी स्तर पर करने एवं तदनुसार की पदाधिकारियों की वा0गो0च0 का समसमय आलेखन हेतु सभी स्तर पर अग्रत्तर आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0–यथोपरि।

15.7.17

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

FA1

पत्रांक--1803/पी–2,
11–13–07–2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक–10/6/16

विषय :– बिहार के विभिन्न जिलों में अनुसंधान पदाधिकारियों, विधि–व्यवस्था पदाधिकारियों एवं निरीक्षकों के लिए कार्य निष्पादन संकेतको का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि जिलों में कार्यरत स0अ0नि0/अ0नि0/पुलिस निरीक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के आलोक में उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का आलेखन हेतु अनुमोदित संशोधित विहित प्रपत्र संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रपत्र में व्यावसायिक बिन्दुओं को शामिल किया गया है तथा प्रत्येक स्तर (प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी एवं स्वीकारक पदाधिकारी) पर वार्षिक गोपनीय आलेखन के लिए प्रपत्र में स्थान दिया गया है। साथ ही वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों को वस्तुपरक बनाने के लिए 0 से 10 के बीच निर्धारित अंकों में से प्राप्त अंक को अंकित करने की व्यवस्था की गयी है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र के अनुसार उक्त कोटि के पुलिस पदाधिकारियों की वा0गो0चा0 का ससमय आलेखन हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

10.6.16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :–

पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–84/गो0, दिनांक–09.05.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था को पृथक करने के लिये कार्य निष्पादन संकेतकों **(Indicators)** का निर्धारण

(क) **थानों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक** :– थानो में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के अनुसंधान पदाधिकारियो, विधि–व्यवस्था पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन संकेतकों (Indicators) का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है । उक्त कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर उनकी मासिक/त्रैमासिक बैठकों में समीक्षा की जाएगी ।

अनुसंधान इकाई

1. ऐसे कांडों की संख्या, जिनमें आरोप पत्र समर्पित किये गये हों।
2. ऐसे कांडों की संख्या, जिनमें अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किये गये हों।
3. प्राथमिकी से लेकर अनुसंधान की पूर्ण समाप्ति तक की कालावधि का औसत।
4. विगत वर्ष में अज्ञात के विरूद्ध प्रतिवेदित कांडों के उद्‌भेदन एवं आरोप–पत्र।
5. विगत वर्ष में सम्पत्तिमूलक कांडों में बरामदगी का प्रतिशत (बरागद संपत्ति/चुराई गयी संपत्ति)।
6. विधि सबंधी जानकारी का स्तर।
7. व्यक्तिगत रूझान।
8. स्पीडी ट्रायल के अन्तर्गत वर्ष भर में कराये गये सजा और कुल अभियुक्तों की संख्या।
9. वर्ष भर में गिरफ्तारी एवं जेल भेजे गये अभियुक्तों की संख्या।
10. ऐसे काण्डों की संख्या जिसमें वेज्ञानिक अनुसंधान से उद्‌भेदन हुआ हो।
11. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की संख्या।

विधि–व्यवस्था इकाई

1. वर्ष भर में गिरफ्तार वारंटियों की संख्या।
2. वर्ष भर में चल संपत्ति कुर्क की संख्या।
3. वर्ष भर में अचल संपत्ति कुर्की की संख्या।
4. वर्ष भर मे दिवा/संध्या/रात्रि गश्ती के दौरान गिरफ्तारी की संख्या।
5. वर्ष भर मे दिवा/संध्या/रात्रि गश्ती के दौरान बरामदगी की संख्या।
6. वर्ष भर मे दिवा/संध्या/रात्रि गश्ती के दौरान दागियों के चेकिंग की सख्या।
7. वर्ष भर में गश्ती के दौरान गिरफ्तारी।
8. वर्ष भर में गश्ती के दौरान बरामदगी।
9. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की संख्या।
10. वर्ष भर में निष्पादित अस्वाभाविक मृत्यु के काण्डों की सख्या।
11. विधि व्यवस्था डियुटी की कुल सख्या।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर प्रत्येक कार्य निष्पादन संकेतकों के संबंध में संबंधित पदाधिकारी स्वलिखित एव हस्ताक्षरित प्रतिवेदन प्रतिवेदक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । पुलिस अधीक्षक उपरोक्त आधार एवं अपने स्व विवेक से मूल्यांकन कर में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आलेखित करेंगे, जिसका प्रपत्र अनुमोदनार्थ संलग्न है ।

(ख) पुलिस निरीक्षकों के लिये कार्य निष्पादन संकेतक (Indicators)

पदस्थापित पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन संकेतकों (Indicators) का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है । उक्त कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर उनकी मासिक बैठकों में समीक्षा की जाएगी ।

क0 सं0	कार्य जिसे पूरा करना हो	वास्तविक उपलब्धियाँ
1.	वर्ष भर में पर्यवेक्षित कांडों की संख्या	
2.	वर्ष भर में निरीक्षण किये गये पोस्टों की संख्या	
3.	विभागीय कार्यवाही का निष्पादन	
4.	यू0डी0 के निष्पादन की संख्या	
5.	पर्यवेक्षित संपत्तिमूलक काण्डों में आरोप पत्र की संख्या	
6.	पर्यवेक्षित संपत्तिमूलक काण्डों में चोरी गयी/बरामद राशि या वस्तु	
7.	अपराध के घटनास्थल पर रात्रि विश्राम की संख्या	
8.	वर्ष भर में थानों में रात्रि विश्राम की संख्या	
9.	वर्ष भर में अपराध न्यूनीकरण के जॉच की संख्या (PM Rule 54(b))	
10.	विधि व्यवस्था	

वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर प्रत्येक कार्य निष्पादन संकेतकों के संबंध में संबंधित पदाधिकारी स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित प्रतिवेदन प्रतिवेदक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । पुलिस अधीक्षक उपरोक्त आधार एवं अपने स्व विवेक से मूल्यांकन कर में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आलेखित करेंगे, जिसका प्रपत्र अनुमोदनार्थ संलग्न है ।

अनुलग्नक 'क'

वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (स0अ0नि0/अ0नि0 के लिए)

1. पदाधिकारी का नाम तथा पद :–
2. गोपनीय अभ्युक्ति की अवधि :–
3. किस पद पर रहें :–

प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकारक पदाधिकारी

4. चरित्र :–
   - (क) नैतिक चरित्र :–
   - (ख) निर्भरता :–
   - (ग) सत्य निष्ठा :–

5. स्वास्थ्य एवं कठिन कार्य की क्षमता :–
6. निम्नलिखित से संबंध कैसे रहे :–
   - (क) वरिष्ठ पदाधिकारी से :–
   - (ख) अधिनस्थों से :–
   - (ग) दण्डाधिकारियों से :–

7. नेतृत्व :–
   - (क) व्यक्तित्व
   - (ख) निर्णय एवं पहल शक्ति :–
   - (ग) उत्तरदायित्व का ज्ञान :–
   - (घ) जन–व्यवस्था :–

8. विशेष उत्तरदायित्व :–
   - (क) परेड एवं ड्रील :–
   - (ख) कल्याण एवं कार्यालय कार्य :–

   - (ग) अनुसंधान नियंत्रण :–
     - I. वैज्ञानिक अनुसंधान
     - II. उद्‌भेदन
     - III. स्पीडी ट्रायल
     - IV. अपराधियों पर नियंत्रण
   - (घ) विधि–व्यवस्था नियंत्रण :–
     - I. विधि व्यवस्था संधारण
     - II. गश्ती का स्तर
     - III. गिरफ्तारी/बरामदगी का स्तर
     - IV. वारंट/कुर्की निष्पादन का स्तर

9. श्रेणीकरण (विशेष अभ्युक्ति सहित):–
   - (क) उत्कृष्ट (8–10 के बीच) :–
   - (ख) अच्छा (6–8 के बीच) :–
   - (ग) औसत (4–6 के बीच) :–
   - (घ) औसत से नीचे (4 से कम) :–

श्रेणीकरण			
अभ्युक्ति			
हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, दिनांक			

वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (पुलिस निरीक्षक कोटि)

1. पदाधिकारी का नाम तथा पद :–
2. गोपनीय अभ्युक्ति की अवधि :–
3. किस पद पर रहें :–

प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकारक पदाधिकारी

4. चरित्र :–
   (क) नैतिक चरित्र :–
   (ख) निर्भरता :–
   (ग) सत्य निष्ठा :–

5. स्वास्थ्य एवं कठिन कार्य की क्षमता :–
6. निम्नलिखित से संबंध कैसे रहे :–
   (क) वरिष्ठ पदाधिकारी से :–
   (ख) अधिनस्थों से :–
   (ग) दण्डाधिकारियों से :–

7. नेतृत्व :–
   (क) व्यक्तित्व
   (ख) निर्णय एवं पहल शक्ति :–
   (ग) उत्तरदायित्व का ज्ञान :–
   (घ) जन–व्यवस्था :–

8. विशेष उत्तरदायित्व :–
   (क) परेड एवं ड्रील :–
   (ख) कल्याण एवं कार्यालय कार्य :–
   (विभागीय कार्यवाही, पत्रों एवं जांच का निष्पादन सहित)

   (ग) अनुसंधान नियंत्रण :–
      I. वैज्ञानिक अनुसंधान
      II. पर्यवेक्षण का स्तर
      III. उद्‌भेदन का स्तर
      IV. बरामदगी का स्तर

   (घ) विधि–व्यवस्था नियंत्रण :–
      I. विधि व्यवस्था संधारण
      II. थाना क्षेत्र में रात्रि विश्राम/गश्ती
      III. अपराध न्यूनीकरण की जांच
      IV. निरीक्षण का स्तर

9. श्रेणीकरण (विशेष अभ्युक्ति सहित):–
   (क) उत्कृष्ट (8–10 के बीच) :–
   (ख) अच्छा (6–8 के बीच) :–
   (ग) औसत (4–6 के बीच) :–
   (घ) औसत से नीचे (4 से कम) :–

श्रेणीकरण			
अभ्युक्ति			
हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, दिनांक			